न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।

सत्र वाद सं0 27/2023

राज्य बनाम कुर्बान आदि

मु0अ0सं0 94/2023
अन्तर्गत धारा 307, 34 भा0दं0सं0
एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना नानौता, जिला सहारनपुर।

आरोप

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद, जिला सहारनपुर आप अभियुक्त कुर्बान को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ–

1– यह कि दिनांक 27.05.2023 को समय 07:45 बजे स्थान सहारनपुर रोड, खुडाना कट से खुडाना की तरफ अन्तर्गत थाना नानौता जिला सहारनपुर में आपने साशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त सऊद उर्फ सोनू के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया। यह कृत्य आपने इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में किया कि यदि किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध किया जो धारा 307/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपको पुलिस द्वारा घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा आपकी जामा तलाशी पर आपके कब्जे से 1 अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुए। जिसको रखने का आपके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोपों की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 16.11.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः 16.11.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
. देवबन्द, सहारनपुर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।

सत्र वाद सं0 27/2023

राज्य बनाम कुर्बान आदि

मु0अ0सं0 94/2023
अन्तर्गत धारा 307, 34 भा0दं0सं0
एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना नानौता, जिला सहारनपुर।

आरोप

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद, जिला सहारनपुर आप अभियुक्त सऊद उर्फ सोनू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ–

1– यह कि दिनांक 27.05.2023 को समय 07:45 बजे स्थान सहारनपुर रोड, खुडाना कट से खुडाना की तरफ अन्तर्गत थाना नानौता जिला सहारनपुर में आपने साशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त कुर्बान के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया। यह कृत्य आपने इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में किया कि यदि किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध किया जो धारा 307/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोप की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 16.11.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः 16.11.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर।